13.12.2025

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ कमांक 16 में सुनवाई हेतु रखा गया।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.श्री विक्रमसिंह चौधरी उपस्थित।

अभियुक्त शशिभूषण एवं अशोक शर्मा सहित अधिवक्ता श्री वेदप्रकाश भार्गव उपस्थित।

फरियादी/आहत संतोष शर्मा की ओर से आवेदन पत्र धारा 320 उपधारा 02 द.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया है, उक्त आवेदन पत्र का आवेदक इस प्रकरण में फरियादी/आहत है और उनके संबंध में अभियुक्त पर धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग–दो भा.द.वि. का

आरोप है, जो कि धारा 320 द0प्र0सं0 के अंतर्गत शमन योग्य हैं, आवेदक/आहत की पहचान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र तिवारी ने की है, अर्थात फरियादी/आहत की पहचान सुनिश्चित है, फरियादी/आहत के द्वारा स्वेच्छया आवेदन पेश किया गया है, अतः फरियादी/आहत की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

फरियादी/आहत व अभियुक्तगण के द्वारा स्वेच्छया राजीनामा हो जाना प्रकट करते हुए प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को इस आधार पर कि फरियादी/आहत अपराध शमन करने हेतु उपरोक्तानुसार सक्षम है, उसकी पहचान सुनिश्चित है एवं अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है। आवेदन बाद विचार स्वीकार किया जाता है एवं अभियुक्त शशिभूषण एवं अशोक शर्मा को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग–दो भा.दं.सं. के आरोप से उक्त अपराधों का शमन हो जाने के कारण धारा 320(8) द0प्र0सं0 के प्रावधान के परिपेक्ष्य में दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में पृथक से मटेरियल आब्जेक्ट के रूप में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

अभियुक्तगण की विवेचना, जांच एवं विचारण के दौरान व्यतीत की गई न्यायिक अभिरक्षा के संबंध में धारा 428 दं0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर, नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(मनीष कुमार पारीक)
पीठासीन अधिकारी, नेशनल लोक अदालत
खण्डपीठ कं–16 एवं न्यायिक मजि.प्रथम श्रेणी पिपरिया
जिला–नर्मदापुरम म.प्र.

(पुरूषोत्तम अहिरवार)
खण्डपीठ सदस्य/सुलहकर्ता सदस्य
नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कं–16
पिपरिया, जिला नर्मदापुरम

MANISH KUMAR PAREEK

Digitally signed by MANISH KUMAR PAREEK
Date: 2025.12.13 13:24:40 +0530